

परिवहन निगम मुख्यालय

लखनऊ

पत्र संख्या: 107(1)/30350(अ.म.)
1/2020-63 रो/वि.स.घु./12-वा.।

दिनांक: 29-05-2020
04-6-2020

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त/डिपो)
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषय : चाटर्ड बसों की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कोविड-19 में परिवहन निगम की बसों के आपातकालीन संचालन के दृष्टिगत उपलब्ध करायी गयी बसों की चाटर्ड दरें इस कार्यालय के पत्र सं. 107 रो/2020-63 रो/वि.स.घु./12-वा.। दिनांक 04.05.2020 द्वारा दरें निर्धारित की गई हैं।

उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निगम बसों की चाटर्ड दरें अधिकतम 400 कि.मी. तक (यह दूरी, जिस डिपो की बस है, उस डिपो की कार्यशाला से आगणित होगी) प्रतिदिन संचालित किये जाने हेतु न्यूनतम किराया प्रतिबस प्रतिदिन निम्नवत संशोधन के साथ निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	श्रेणी	निगम का किराया (घनराशि रु.में)	सैनीटाईजेशन (प्रति बस प्रतिदिन)	जीएसटी (घनराशि रु.में)	कुल योग (घनराशि रु.में)	400 कि.मी. प्रतिदिन से अधिक कि.मी. संचालित होने पर, अतिरिक्त प्रति कि.मी. (घनराशि रु.में) जीएसटी सहित
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7
1	साधारण	22084	850	4128	27062	65.15

उक्त किराया दरें दिनांक 01.05.2020 से प्रभावी होंगी। तदनुसार संशोधित किराया दरों को लागू करना सुनिश्चित करें। शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

(डा० राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, लखनऊ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, गृह, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 5- वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 6- मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा०/संचा०/प्रावि०), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 7- समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(डा० राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक